हरिभूमि
धमतरी भूमि - Page 1
26 July 2025

फर्जी शिक्षाकर्मी भर्ती मामले में एक की अग्रिम जमानत खारिज

■ वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी भर्ती का मामला

हरिभूमि न्यूज ⏭धमतरी

शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी की अदालत में चल रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए दलील पेश की थी। शासकीय अधिवक्ता मनोहर लाल क्षत्री ने जमानत पर आपत्ति पेश की थी।

आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णकुमार साहू ने बताया कि यह मामला 17 साल पुराना है। वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मगरलोड में 172 शिक्षाकर्मियों की भर्ती की गई थी, जिसमें गलत तरीके से और फर्जी, अमान्य दस्तावेजों पर अंक देकर अपात्रों की भर्ती की गई है। जांच में 142 भर्तियां गलत पाई गई हैं। एक मामले में एसटीएसी वर्ग के दो युवकों का अंक कम कर उन्हें शासकीय नौकरी से वंचित किया गया है, जिसके चलते आरोपियों पर एसटीएसी एक्ट के तहत भी धारा लगाई गई है। एक मामले में शिक्षाकर्मी लता साहू पर आरोप है कि उसने फिंगेश्वर के जिस स्कूल से एक साल का अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया है, वह फर्जी है। वह जनभागीदारी स्कूल ही नहीं है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उसे 5 अंक दिया गया था। इस मामले में लता साहू के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए दलील पेश की थी जिसे निरस्त कर दिया गया है।

सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार

आरटीआई कार्यकर्ता श्री साहू ने बताया कि इस मामले में तत्कालीन जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, चयन कमेटी के सदस्य, चयनित शिक्षाकर्मी सहित 105 आरोपी हैं। समय पर जांच और कार्रवाई नहीं हुई। इनमें से 16 आरोपियों का निधन हो चुका है। वहीं चार आरोपियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर से अग्रिम जमानत ले ली है।